# राजस्थान सरकार
## चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प.1(479)एमई / ग्रुप–1 / 2017 जयपुर, ~~दिनांक~~ 8 JUN 2018

–:: आदेश ::–

राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(95)डीएमई / 16 दिनांक 15.02.2017 के द्वारा डॉ0 नीरज मीना (मेरिट संख्या 121, अनुसूचित जनजाति) को वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षाकाल पर मेडिकल कॉलेज जोधपुर में नियुक्ति प्रदान की गई थी। वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति से पूर्व डॉ0 नीरज मीना चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय सेवा में नियमित रूप से कार्यरत थे। डॉ0 नीरज मीना द्वारा अपने पैतृक विभाग निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राज. जयपुर में मूल पद चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निवेदन किया गया है। अतः डॉ0 नीरज मीना के निवेदन पर उनको वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के पद से तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त किये जाने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि यदि कोई राजकीय राशि अथवा सामान उनकी ओर बकाया हो तो उसकी वसूली कर ली जावे।

डॉ0 नीरज मीना का इस विभाग में नियमानुसार लियन रहेगा।

आदेश से,

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज जोधपुर को उनके पत्रांक एफ–2 / ई / आमवि. / जो. / 2018 / 2798–99 दिनांक 21.2.2018 के संदर्भ में।
6. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव